न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 238/2020
दायर दिनांक :– 14.10.2020

अनवान

1- सायर पुत्र मांगू भील निवासी धाधोला तहसील– जहाजपुर हॉल मुकाम टांकावास तहसील सावर
2- प्रेम देवी पुत्री मांगू भील निवासी धाधोला तहसील जहाजपुर
3- सोहनी देवी पुत्री मांगू भील निवासी धाधोला तहसील जहाजपुर
4- खेमराज पिता लाडूराम मीणा नि. सरसिया तहसील जहाजपुर
5- सोकरण पिता खानाराम मीणा नि. खेराडिया माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर

प्रार्थीगण.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री दीपक पंचोली, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश :: दिनांक २० .02.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम धाधोला, पटवार हल्का कुराडियां, तहसील जहाजपुर स्थित आराजी संख्यां 1564/678 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। जो पूर्व मे मोहन पुत्र मांगू भील निवासी धांधोला के नाम पर राजस्व व भू अभिलेखो मे पुश्तैनी रूप से दर्ज दाखिल थी। उसकी मृत्यु के बाद विरासत से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण से हम प्रार्थीगणो के नाम दर्ज हुई तथा वर्तमान समय मे प्रार्थी व उसके परिजन ही इस भूमि पर लगातार कब्जा होकर काश्त कर जीवनयापन कर रहे है । उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 5.10.2020 को कृषि साख ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण पटवार हल्का कुराडिया से नकल नक्शा प्राप्त करने गये तो पता चला कि उक्त वर्णित प्रार्थीगणो की आराजी का अंकन राजस्व मानचित्र मे नही है। इस पर प्रार्थीगणो ने मोके पर कब्जे के आधार पर उक्त आराजी को राजस्व मानचित्र मे दर्ज करवाने वास्ते तहसीलदार जहाजपुर के यहां एक आवेदन पत्र वास्ते तरमीम हेतू पेश किया किन्तु उन्होने इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही और कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। उक्त वर्णित आराजियात मे प्रार्थीगण का वर्तमान मे मौके पर कब्जा होकर उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहे है तथा पूर्व मे भी काफी वर्षो तक प्रार्थीगणो के पूर्वज भी इसी स्थान पर कब्जा काश्त रहे है। इसलिए प्रार्थीगणो के कब्जे के अनुसार उक्त रकबे को राजस्व एंव भू मानचित्र मे अंकित किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि मे जिसमे प्रार्थीगण व उसका परिवार कब्जा होकर लगातार निर्बाध रूप से काश्त कर जीवन यापन कर रहा है। उक्त आराजी संख्यां 1564/678 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मे प्रार्थीगणो के मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व मानचित्र मे तरमीम किये जाने की आज्ञा तहसीलदार जहाजपुर प्रदान कराना फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर कि तरफ से पत्र कमांक 58 दिनांक 18.01.2023 से मौके एव रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट में बताया की ग्राम धांधोला की आराजी नं. 1564/678 रकबा 2.10 बीघा (0.5400 हैक्टेयर) मुताबिक राजस्व रेकार्ड खातेदार खेमराज पिता लाडूराम हिस्सा 1/2 मीणा नि. सरसिया एवं सोकरण पुत्र खानाराम हिस्सा 1/2 मीणा नि. खेराडिया माताजी का खेडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि का पटवार हल्का के पास उपलब्ध लट्ठा सीट में तरमीम नही है। ऑनलाइन नक्शें में उक्त आराजी जहॉ तरमीम है उक्त स्थान पर खातेदार का कब्जा काश्त नही होकर मौका पर्चा में दर्शाये नजरी नक्शे अनुसार कब्जा काश्त है।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 खाता सं. 239, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस की प्रति, नजरी नक्शा की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की खसरा नम्बर 1564/678 रकबा 2.10 बीघा (0.5400 हैक्टर) रकबा राजस्व नक्शे में पटवार हल्का के पास उपलब्ध लट्ठा सीट में तरमीम नही है। तथा ऑनलाईन नक्शे में उक्त आराजी की जहॉ तरमीम है उक्त स्थान पर खातेदार का कब्जा काश्त नही होकर मौका पर्चा में दर्शाये गये स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट से होती है। जिससे खसरा नम्बर 1564/678 रकबा 2–10 बीघा (0.5400 हैक्टर) राजस्व नक्शे में तरमीम संशोधन किया जाना उचित है। जिससें न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया की आ.न. 1564/678 रकबा 2–10 बीघा (0.5400 हैक्टर) में पूर्व तरमीम को विलोपित की जाकर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे व रिकार्ड (जमाबन्दी में उल्लेखित क्षेत्रफल) अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)